

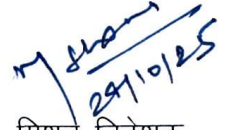
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चय के अन्तर्गत कुशल युवा केन्द्र संचालन की अनुमति BSDM द्वारा आपको प्रदान की गई। कुशल युवा केन्द्र Institute of Computer and Commerce तेघड़ा, बेगूसराय KYP05010017 को बिना किसी पूर्वानुमति के Franchise/Revenue Sharing Mode में संचालित किया जाता रहा। विदित हो कि BSDM के शाषी पर्षद की 15वीं बैठक की कार्यावाही बिन्दु 4(g) में उल्लेखित है कि किसी संस्था का Franchise/Revenue Sharing Mode में संचालित किये जाने हेतु विभाग से पूर्वानुमति आवश्यक है। बिना पूर्वानुमति के केन्द्र का संचालन Franchise/Revenue Sharing Mode में किये जाने से संबंधित मामला पाये जाने पर केन्द्र का निबंधन स्थायी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

शाषी पर्षद के 15वीं बैठक की कंडिका 4(g) के आलोक में उक्त कुशल युवा केन्द्र को स्थायी रूप से बंद करते हुए पंजीकरण रद्द किया जाता है, साथ ही कुशल युवा केन्द्र Institute of Computer and Commerce तेघड़ा, बेगूसराय KYP05010017 केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के लिए Amnesty व्यवस्था के अन्तर्गत अलग से परीक्षा लिए जाने की व्यवस्था की जाएगी।

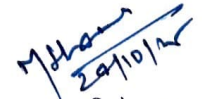
उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


29/10/25

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— BSDM/ KYP05010017/Begusarai/16/2024-2393 पटना, दिनांक— 29-10-25
प्रतिलिपि:—

1. उपासना कुमारी, ICC तेघड़ा, बेगूसराय KYP05010017 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. चंदन कुमार, पिता— नवल किशोर सिंह, मो० नं०—9110129143 ICC तेघड़ा, बेगूसराय KYP05010017 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. P.D., MKCL/E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. Team Leader- TBA(FMAS) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. मिशन प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला नियोजन पदाधिकारी/जिला कौशल प्रबंधक, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार विकास कौशल मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव श्रम संसाधन विभाग सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


29/10/25

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन
बिहार, पटना।